भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

 \*\*\*

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 894**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 28 जुलाई, 2015/6 श्रावण, 1937 (शक) को दिया जाना है)**

**बकाया कर की वसूली**

**894. श्री आनंद शर्मा:** क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार प्रत्‍यक्ष कर की कुल कितनी बकाया राशि शेष है;

(ख) क्‍या ऐसे व्‍यक्ति/कंपनियां मौजूद हैं जिन्‍हें सरकार को बकाया कर के रुप में 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का भुगतान करना शेष है यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान इस धनराशि की वसूली करने हेतु क्‍या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) 1 अप्रैल, 2015 तक की स्थिति के अनुसार, प्रत्‍यक्ष करों की कुल बकाया राशि, जिसमें अभी देय न होने वाली मांग भी शामिल है, 8,27,680 करोड़ रुपये (अनंतिम) हैं।

(ख) जी हां उन व्‍यक्तियों/कंपनियों का ब्‍यौरा जिनपर 31.3.2015 तक 1000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष कर का बकाया है, नीचे दिया गया है:-

|  |  |
| --- | --- |
| व्‍यक्ति | कंपनियां |
| मामलों की संख्‍या | कुल बकाया राशि(करोड़ रुपये में) | मामलों की संख्‍या | कुल बकाया राशि(करोड़ रुपये में) |
| 17 | 214608.60 | 35 | 90567.64 |

(ग) इन बकाया मांगों की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार सतत आधार पर कार्रवाई की जाती है। आयकर विभाग ने एक ऐसी योजना भी तैयार की है जिसके तहत क्षेत्रीय कार्यालय, विशेषकर ऐसी अत्‍यधिक मांग वाले मामलों पर विशेष ध्‍यान देते है। इन बकाया मांगों के संकलन/की वसूली के बारे में निर्धारण अधिकारियों के किये जाने वाले प्रयासों की भी पद-सोपानिक वरिष्‍ठ अधिकारियों के द्वारा नियमित रुप से समीक्षा/मॉनीटरिंग की जाती है। वसूली किये जाने के लिए पर-संपत्ति का पता लगाने हेतु वैयक्तिक संव्‍यवहार विवरण जैसे डाटा बेसों और विभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले 360 डिग्री प्रोफाइल तथा ऐसे डाटा बेसों जोकि एफआईयू-आईएमडी आदि अन्‍य एजेंसियों द्वारा व्‍यवस्थित रखे जाते हैं, को उपलब्‍ध करा दिया गया है। वसूली किये जाने के लिए और स्‍थगन आदेश के लिए दायर की गई याचिकाओं को देखने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयास करने हेतु कर वसूली अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन अपीलों का शीघ्र निपटान कराने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।

हालाकि, इन मांगों के बहुत बड़े हिस्‍से की निम्‍नलिखित कारणों से वसूली किया जाना संभव नहीं है यथा:-

I. कुछ मांगे मार्च, 2015 के महीने में उठाई गई हैं और ये अभी देय नहीं हुई हैं, या

II. निम्‍नलिखित कारणों से कुछ मांगों की वसूली करना कठिन हो गया है:-

i. इन मांगों पर आईटीएटी /न्‍यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई है।

ii. इन मांगों पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा रोक लगा दी गई है।

iii. वे मामलों जो आयकर निपटान आयोग के समक्ष हैं।

iv. जिनमें ऐसी कोई परिसंपत्ति नहीं है जिससे की वसूली की जा सके।

v. कंपनी समापन की स्थिति में है।

vi. मामला बीआईएफआर के समक्ष विचाराधीन है।

vii. निर्धारती विशेष न्‍यायालय (प्रतिभूति‍ से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया व्‍यक्ति है।

viii. निर्धारिति‍ का पता लगाना संभव नहीं है।

ix. संपत्ति की कुर्की के खिलाफ अपील विचाराधीन है।

वित्‍त वर्ष 2014-15 के दौरान बकाया मांग की वसूली से कुल 36,593 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।